

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या
12/12/2025

रजि० नं० 2025/
2025/36

प्रवेश तिथि
30.01.2025

निर्णय दिनांक
26.03.2025

1- औमप्रकाश पुत्र रामपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांचौद तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा।
(राजस्थान)

अपीलान्टान

वनाम

1- तहसीलदार मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 452/2024 धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुए आराजी खसरा न० 190 रकबा 1.5 है० किस्म गैरमुमकिन नदी से बैदखल किये जाने/तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, को अपास्त किये जाने बाबत।

उपस्थित-

01. श्री जर्नादन शर्मा

-वकील अपीलान्ट

—:निर्णय:—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 प्रकरण संख्या 452/2024 धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत आराजी खसरा न० 190 रकबा 54.60 है० किस्म गैरमुमकिन नदी में से 1.5 है० भूमि वाके ग्राम सांचौद पर सरसो की फसल काश्त कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर अपीलान्ट के विरुद्ध फसल कुर्क कर नीलाम करने/पैलन्टी की राशि वसूल कर मौके से बैदखली/ तीन माह का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जर्जे नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न० 190 रकबा 54.60 है० मे से रकबा 1.5 है० किस्म गैरमुमकिन नदी वाके ग्राम सांचौद तहसील मुण्डावर पर मिन अपीलान्ट का कोई मौके पर कब्जा नहीं है, पटवारी हल्का के द्वारा मौके के खिलाफ बिना पैमाईश किये अपीलान्ट के विरुद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत रिपोर्ट पेश की गयी है। पटवारी हल्का द्वारा यह रिपोर्ट कार्यालय में बैठ कर तैयार की गयी है, तहत अदालत द्वारा कोई पैमाईश नहीं करायी गयी है, न ही कोई निरीक्षण किया गया है। तहत अदालत के द्वारा मिन अपीलान्ट को जवाब नोटिस दस्तावेजी सबूत व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है, विधिक प्रक्रिया एवं प्रावधानों के विपरीत पीडित पक्षकार को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में भी गलती की है। क्योंकि पूर्व में अपीलान्ट को न तो बैदखल किया गया है, न ही इस बाबत पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य थी। जैसे पूर्व में बैदखल करने की निर्णय की सत्य प्रतिलिपि आदि लेकिन तहत अदालत ने मात्र पटवारी हल्का के बयान पर बिना निर्णय की प्रतिलिपि पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह का सिविल कारावास की सजा व अर्थदण्ड 300 रूपये से दण्डित किया गया है, जो निर्णय विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान की अनेको नजीरे इस बाबत है, कि जब तक पत्रावली पर पहले बैदखल करने के आदेश/निर्णय की सत्य प्रतिलिपि न हो तब तक उसको पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं माना जा सकता है। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.01.2024 को निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

